कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 68 अंक : 5 पृष्ठ : 72 मार्च 2022 मूल्य : ₹ 30

विशेषांक

केंद्रीय बजट 2022-23

भारत में वित्तीय समावेशन

–परमेश्वर लाल पोद्दार, डॉ. आशुतोष कुमार

आज़ादी के 75वें साल में जब देश अमृत महोत्सव मना रहा है तब नए भारत के लिए वित्तीय समावेशन का महत्व और भी बढ़ जाता है। आरबीआई द्वारा तैयार भारत के लिए वित्तीय समावेशन इंडेक्स 2021 में वित्तीय सेवा तक पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता के आधार पर इसे 53.9 मापा गया है। इसमें सुधार हेतु निरंतर प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। इसके लिए वित्तीय साक्षरता, डिजिटल लेन–देन, मांग आधारित बैंकिंग उत्पाद को बढ़ावा देने के साथ– साथ अवसंरचनात्मक कमियों को दूर किए जाने की आवश्यकता है।

किसी भी देश के आर्थिक विकास का मुख्य आधार उस देश का बुनियादी ढांचा होता है। यदि बुनियादी ढांचा ही कमज़ोर हो तो कितना भी प्रयास किया जाए, व्यवस्था को मज़बूत नहीं बनाया जा सकता है। यही कारण है कि किसी भी देश को मज़बूत करने के लिए नीति निर्माताओं द्वारा एक ऐसे मार्ग का अनुसरण किया जाता है जिसके माध्यम से सरकार आम आदमी को अर्थव्यवस्था के औपचारिक माध्यम में शामिल कर सके।

दुनिया भर में हुए अनुसंधान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि विकसित और समावेशित वित्तीय प्रणालियां तीव्रतर वृद्धि और बेहतर आय विभाजन से संबद्ध हैं। वित्त की उपलब्धता में गरीबों को करने और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने में मदद मिलती है। ग़रीबी को दूर करने में वित्तीय समावेशन को एक अहम माध्यम माना जाता है। 2030 के 17 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में से सात वित्तीय समावेशन को समाज के गरीब और हाशिए के वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके दुनिया भर में सतत विकास प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख प्रवर्त्तक के रूप में देखते हैं।

वित्तीय समावेशन क्या है?

वित्तीय समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार आम आदमी को अर्थव्यवस्था के औपचारिक माध्यम में शामिल कर सकती है। वस्तुतः वित्तीय समावेशन के तहत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी आर्थिक विकास के लाभों से संबद्ध किया जा सके ताकि वह व्यक्ति आर्थिक सुधारों के फल से वंचित न रहे।

वित्तीय समावेशन को वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने के अवसरों की उपलब्धता और समानता के रूप में परिभाषित किया गया है। वित्तीय समावेशन मोटे तौर पर उचित लागत पर वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक सार्वभौमिक पहुंच को संदर्भित करता है। इनमें बैंकिंग उत्पाद के अलावा अन्य वित्तीय सेवाएं जैसे बीमा और इक्विटी उत्पाद शामिल हैं (वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति, अध्यक्षः डॉ. रघुराम जी. राजन)। वित्तीय सेवाओं तक घरेलू पहुंच को चित्र–1 में दर्शाया गया है।

> "विकास के पिरामिड में गरीबों की क्रयशक्ति में सुधार करके वित्तीय समावेशन के माध्यम से सबसे निचली परत को मज़बूत करने की आवश्यकता है।"
>
> –प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

भारत में वित्तीय समावेशन– ऐतिहासिक परिदृश्य

भारत में समान विकास को बढ़ावा देने में वित्त के महत्व और

चित्र–1 : वित्तीय सेवाओं तक घरेलू पहुंच

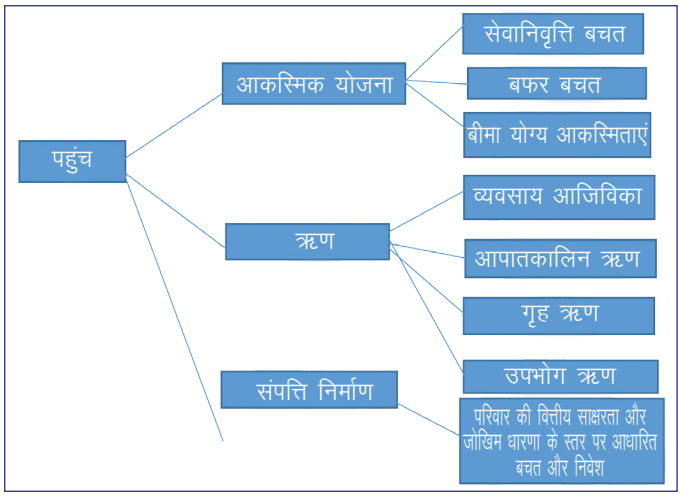

स्रोतः ए हंड्रेड स्माल स्टेप्स – वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति की रिपोर्ट

भूमिका को पहली पंचवर्षीय योजना के बाद से महसूस किया गया था। क्रमिक सरकारों ने गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की योजना बनाई और उसे लागू किया। ग्रामीण क्षेत्रों की जनता की बचत को संग्रहित करने और कृषि तथा लघु उद्योग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के उद्देश्य से वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 और 1980 में किया गया। 1969 से 1980 के बीच देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हज़ारों नई बैंक शाखाएं खोली गईं। इस अवधि में अधिक संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के संचालन के विस्तार से पारंपरिक साहूकारों की पकड़ ढीली हो गई। अग्रणी बैंक योजना, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र योजना, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण आदि के माध्यम से सरकार ने बैंकों को कृषि, छोटे पैमाने के क्षेत्रों और दूसरे उपेक्षित क्षेत्रों को रियायती ऋण प्रदान करना अनिवार्य कर दिया।

वित्तीय समावेशन की स्थिति पर विभिन्न रिपोर्ट

विभिन्न संस्थानों के सर्वेक्षण और रिपोर्ट में विभिन्न कालक्रम में देश में वित्तीय समावेशन की स्थिति को दर्शाया गया है।

एनएसएसओ 59वें (2003) दौर के सर्वेक्षण के दौरान स्थिति

- 51.4 प्रतिशत किसान परिवार औपचारिक/अनौपचारिक दोनों स्रोतों से आर्थिक रूप से बाहर थे।
- कुल किसान परिवारों में से केवल 27 प्रतिशत की ही ऋण के औपचारिक स्रोतों तक पहुंच थी; इस समूह के एक तिहाई लोगों ने अनौपचारिक स्रोतों से उधार भी लिया था।
- कुल मिलाकर, 73 प्रतिशत किसान परिवारों के पास ऋण के औपचारिक स्रोतों तक पहुंच नहीं है।
- सभी क्षेत्रों में, मध्य, पूर्वी और उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों में वित्तीय वंचन अधिक तीव्र। इन तीन क्षेत्रों में एक साथ देश के सभी आर्थिक रूप से वंचित किसान परिवारों का हिस्सा 64 प्रतिशत था। इन तीन क्षेत्रों के वित्त के औपचारिक स्रोतों की कुल ऋणग्रस्तता केवल 19.66 प्रतिशत थी।
- पांच दशकों की अवधि में ग्रामीण परिवारों द्वारा ऋण के औपचारिक स्रोतों तक पहुंच में समग्र सुधार को चित्र–2 में दर्शाया गया है।

भारत सरकार जनसंख्या जनगणना 2011

2011 की जनगणना के अनुसार, देश में केवल 58.7 प्रतिशत परिवार ही बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। हालांकि, पिछली जनगणना 2001 की तुलना में, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं में वृद्धि के कारण बैंकिंग सेवाओं का लाभ काफी हद तक बढ़ गया, जो चित्र–3 से स्पष्ट होता है।

नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2016–17

- देश में वित्तीय समावेशन की स्थिति में सुधार हो रहा है परंतु अभी भी कुल ऋण ज़रूरतों का 32 प्रतिशत गैर–संस्थागत स्रोतों से प्राप्त होता है।
- कुल मिलाकर 18.90 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक सदस्य को किसी भी तरह के पेंशन के तहत कवर किया गया था।
- कुल मिलाकर 25 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक सदस्य को किसी भी तरह के बीमा के तहत कवर किया

चित्र–2: विभिन्न ऋण स्रोतों तक पहुंच

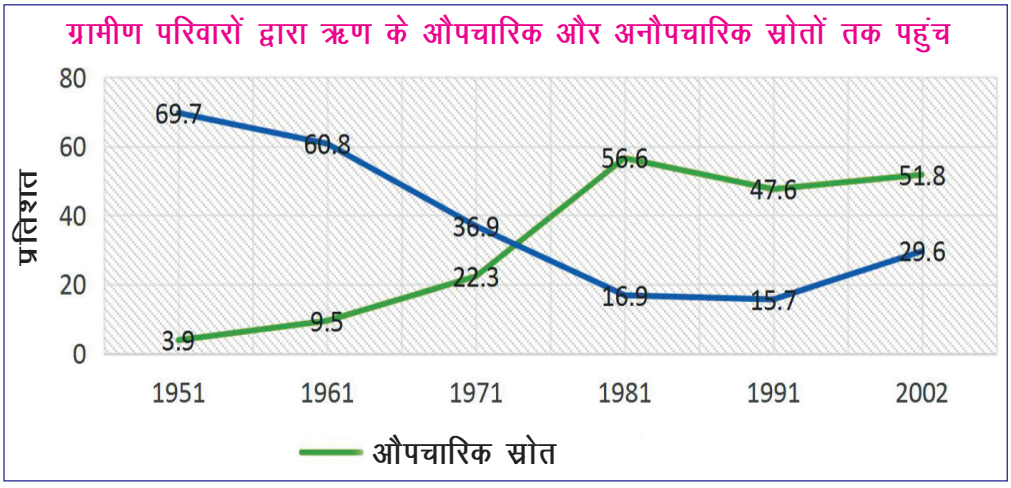

स्रोतः भारतीय रिज़र्व बैंक

बजट 2022–23 में वित्तीय समावेशन

- गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को डीबीटी से भुगतान
- नाबार्ड कृषि और ग्रामीण उद्यमों के लिए स्टार्टअप को वित्तपोषित करने के लिए मिश्रित पूंजी की सुविधा प्रदान करेगा।
- उद्यम, ई–श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा।
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 2 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- 1.5 लाख डाकघरों में से शत प्रतिशत कोर बैंकिंग सिस्टम पर आएंगे।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू) स्थापित करेंगे।
- महत्वाकाक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा।
- देश की उत्तरी सीमा पर विकास विहीन गांव के विकास हेतु जीवंत ग्राम कार्यक्रम।

गया था।

- कुल मिलाकर, 23 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि सर्वेक्षण के समय इसका कोई भी सदस्य एक माइक्रोफाइनेंस समूह से जुड़ा था।

वित्तीय समावेशन क्यों?

वित्तीय समावेशन ग्रामीण आबादी के बड़े हिस्से के बीच बचत की संस्कृति विकसित करके वित्तीय प्रणाली के संसाधन आधार को विस्तृत करता है और आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाता है। इसके अलावा, निम्न आय समूहों को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र की परिधि में लाकर, वित्तीय समावेशन उनके वित्तीय धन और अन्य संसाधनों की अत्यावश्यक परिस्थितियों में रक्षा करता है। वित्तीय समावेशन औपचारिक ऋण तक पहुंच को सुगम बनाकर सूदखोर साहूकारों द्वारा कमज़ोर वर्गों के शोषण को भी कम करता है। इसकी मदद से किसी व्यक्ति की आर्थिक और उत्पादकता की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और उसके जीवन–स्तर को सुधारा जा सकता है।

वित्तीय समावेशन के मार्ग में बाधाएं

इतना उपयोगी होते हुए भी वित्तीय समावेशन किसी भी अन्य सेवाओं की तरह न तो अपने आप हो सकता है और न ही यह बिना नीतिगत निर्णय लिए हो सकता है। इसका कारण वित्तीय वंचन, उच्च लागत, दस्तावेज़ संबंधी बाधाएं, और व्यवहार संबंधी पहलू हैं (चित्र–4)।

भारत में वित्तीय समावेशन हेतु हो रहे प्रयास

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 2004 में वित्तीय समावेशन के लिए रणनीतियों के आकलन हेतु खान आयोग की स्थापना की थी और आयोग की सिफारिश के अनुसार, आरबीआई ने अधिक वित्तीय समावेशन प्राप्त करने की दृष्टि से बैंकों को एक बुनियादी "नो–फ्रिल्स" बैंकिंग खाता उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया। 50,000 रुपये से कम की वार्षिक जमाराशि वाले खाता खोलने के इच्छुक लोगों के लिए केवाईसी मानदंडों में छूट दी गई। सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) गरीबों और वंचितों को आसान क्रेडिट तक पहुंचने में मदद करने के लिए जारी किए गए। जनवरी 2006 में, रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ/एसएचजी), सूक्ष्म वित्त संस्थानों और अन्य नागरिक समाज संगठनों की सेवाओं का उपयोग मध्यस्थ के रूप में करने की अनुमति दी। इन बिचौलियों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा व्यापार सुविधाकर्ता (बीएफ) या व्यापार संवाद्दाता (बीसी) के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वित्तीय समावेशन की दिशा में एक योजनाबद्ध और संरचित दृष्टिकोण अपनाने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वित्तीय समावेशन योजनाएं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 2010 में शुरू की

चित्र –4 वित्तीय वंचन के कारण

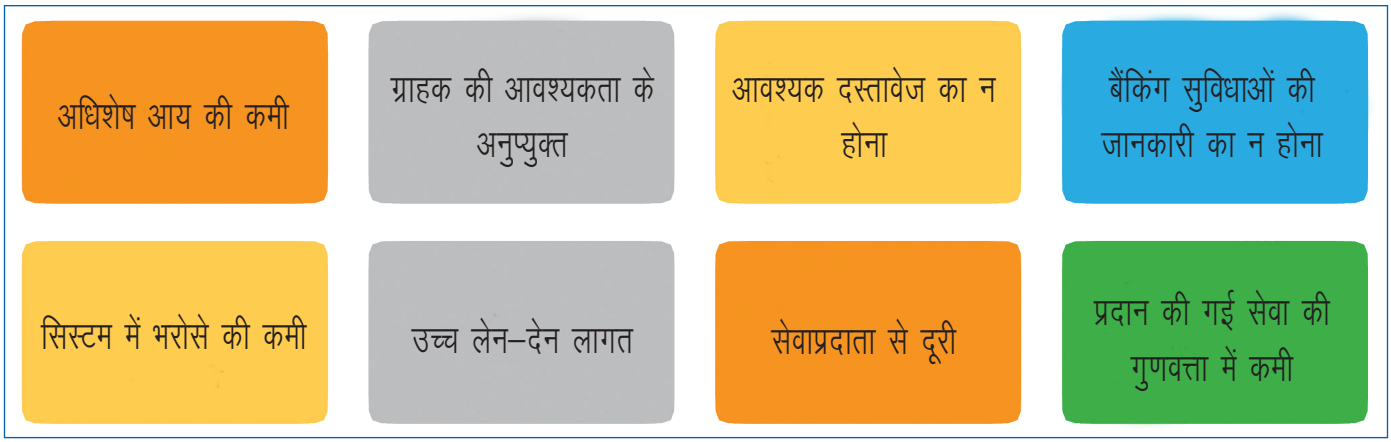

तालिका–1 : वित्तीय समावेशन योजना की प्रगति

क्र. सं.	ब्यौरे	मार्च 2010	मार्च 2015	मार्च 2019	मार्च 2020	मार्च 2021
1	गांवों में बैंकिंग आउटलेट– कुल शाखाएं	33,378	49,571	52,489	54,561	55,112
2	गांवों में बैंकिंग आउटलेट – कुल बीसी	34,174	4,99,590	5,41,129	5,41,175	11,90,425
3	गांवों में बैंकिंग आउटलेट–कुल (1+2)	67,694	5,53,713	5,97,155	5,99,217	12,48,079
4	बुनियादी बचत खाता – (संख्या लाख में)	735	3,981	5,742	6,004	6,455
5	बुनियादी बचत खाता में जमाराशि– (रुपये करोड़ में)	5,500	43,955	1,40,960	1,68,412	2,06,015
6	बुनियादी बचत खाता– ओवरड्राफ़्ट सुविधा–(संख्या लाख में)	240	426	491	475	466
7	बुनियादी बचत खाता– ओवरड्राफ़्ट सुविधा–(रुपये करोड़ में)	1,24,000	4,38,229	6,68,044	6,39,069	6,72,624
8	कुल के सी सी (संख्या लाख में)	240	426	491	475	466
9	कुल के सी सी (रुपये करोड़ में)	1,24,000	4,38,229	6,68,044	6,39,069	6,72,624

स्रोत– भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2021, भारतीय रिज़र्व बैंक

गई। आरबीआई ने नाबार्ड के साथ दो निधियों– वित्तीय समावेशन कोष (FIF) और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी कोष (FITF) का गठन किया, ताकि वित्तीय समावेशन की विभिन्न लागतों के खर्चे को पूरा किया जा सके।

सरकारी योजना के लाभार्थियों का सटीक लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करने और रिसाव में कमी हेतु प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) दिसंबर 2014 से पूरे देश में लागू किया गया। वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन, अर्थात् प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) अगस्त 2014 में शुरू की गई। साथ ही, सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना की भी शुरुआत की गई। जन धन खाते, आधार, बायोमेट्रिक आईडी और मोबाइल (जेएएम) राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों सहित देश भर में सभी कल्याणकारी योजनाओं में डीबीटी को लागू करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं।

वित्तीय समावेशन को और व्यापक बनाने के लिए आरबीआई ने 2015 में लघु वित्त बैंक (एसएफबी) और भुगतान बैंक को बैंकिंग लाइसेंस जारी किए हैं। सितंबर 2018 में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) का शुभारंभ किया गया। आईपीपीबी 1.55 लाख डाकघरों और 3 लाख से अधिक डाकियों के साथ डाक विभाग के विशाल नेटवर्क का भी लाभ उठा रहा है। डाक सेवक देश में वित्तीय समावेशन की पहल को और आगे बढ़ाएंगे। वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण (2022–23) में वित्तीय समावेशन को मज़बूती प्रदान करने के लिए 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग सोल्युशन से जोड़ने की घोषणा की है।

सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमियों को आसान ऋण मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चलाई जा रही है। साथ ही, 'उद्यमी मित्र' और 'psbloansin59minutes.com' जैसे वेबपोर्टल भी लांच किए गए हैं। लघु और सीमांत किसानों हेतु आवंटित प्राथमिकता क्षेत्र के कुल ऋण को 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत किया गया है। किसानों हेतु रुपे केसीसी योजना चलाई जा रही है।

इसके अलावा, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए विभिन्न तरह के मोबाइल सेवा प्रदाताओं को भुगतान बैंक हेतु मंजूरी दी गई है जिससे धन का प्रेषण आसान हुआ है और डिजिटल लेन–देन को बढावा मिला है। तकनीक के प्रयोग ने आज मोबाइल के माध्यम से बैंकिंग सेवा को लोगों की जेब में ला दिया है। बजट (2022–23) में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 75 ज़िलों में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 डिजिटल बैंकिंग इकाई की स्थापना करने की भी घोषणा की गई है। वित्तीय शिक्षा का प्रसार करने के लिए आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं के माध्यम से वित्तीय साक्षरता के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक की भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2021 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के

तालिका 2 : पीएमजेडीवाई की स्थिति

(26 जनवरी 2022 तक)

(सभी अंक करोड़ में)

बैंक	ग्रामीण तथा अर्ध–शहरी क्षेत्र में खुले खाते	शहरी क्षेत्र में खुले खाते	कुल खाते	खाते में जमा धनराशि (करोड़ रु में)	जारी रुपे डेबिट कार्ड
सार्वजनिक बैंक	21.97	13.18	35.15	1,20,849.21	26.91
आर आर बी	7.11	1.04	8.15	31,594.68	3.38
निजी बैंक	0.7	0.59	1.29	4,654.74	1.1
कुल	29.78	14.81	44.59	1,57,098.6	31.39

स्रोत: www.pmjdy.gov.in

प्रावधान में प्रगति हुई है और समय के साथ उनका उपयोग भी बढ़ा है। मार्च 2021 के अंत में, गांवों में कुल बैंकिंग आउटलेट्स का 95 प्रतिशत हिस्सा बीसी आउटलेट्स का है (तालिका–1)।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)– वित्तीय समावेशन का राष्ट्रीय मिशन

अगस्त 2014 में अपनी स्थापना के बाद से, पीएमजेडीवाई देश की बैंक रहित और कम सेवा वाली आबादी के वित्तीय समावेशन में योगदान दे रहा है। इस योजना का उद्देश्य वंचित वर्गों जैसे कमज़ोर वर्गों और कम आय वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, विप्रेषण सुविधा, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। इस योजना में प्रत्येक परिवार के लिए कम–से–कम एक मूल बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण की उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन सुविधा सहित सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की अभिकल्पना की गई है। इस योजना में सभी सरकारी लाभों को लाभार्थियों के खातो में प्रणालीकृत किए जाने तथा केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष लाभांतरण योजना (डीबीटी) को आगे बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। सात वर्षों की अवधि में, पीएमजेडीवाई के तहत कुल लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 44.58 करोड़ हो गई, जिसमें 26 जनवरी, 2022 तक रु 1.57 लाख करोड़ (तालिका–2) जमा थे।

पीएमजेडीवाई ने महिलाओं को बड़ी संख्या में वित्तीय समावेशन से लाभ पहुंचाया है, इस योजना के तहत खुले खातों में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या है (चित्र–5)। यह योजना महिला सशक्तीकरण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

चित्र–5: पीएमजेडीवाई के तहत खुले खातों में महिला–पुरुष की हिस्सेदारी

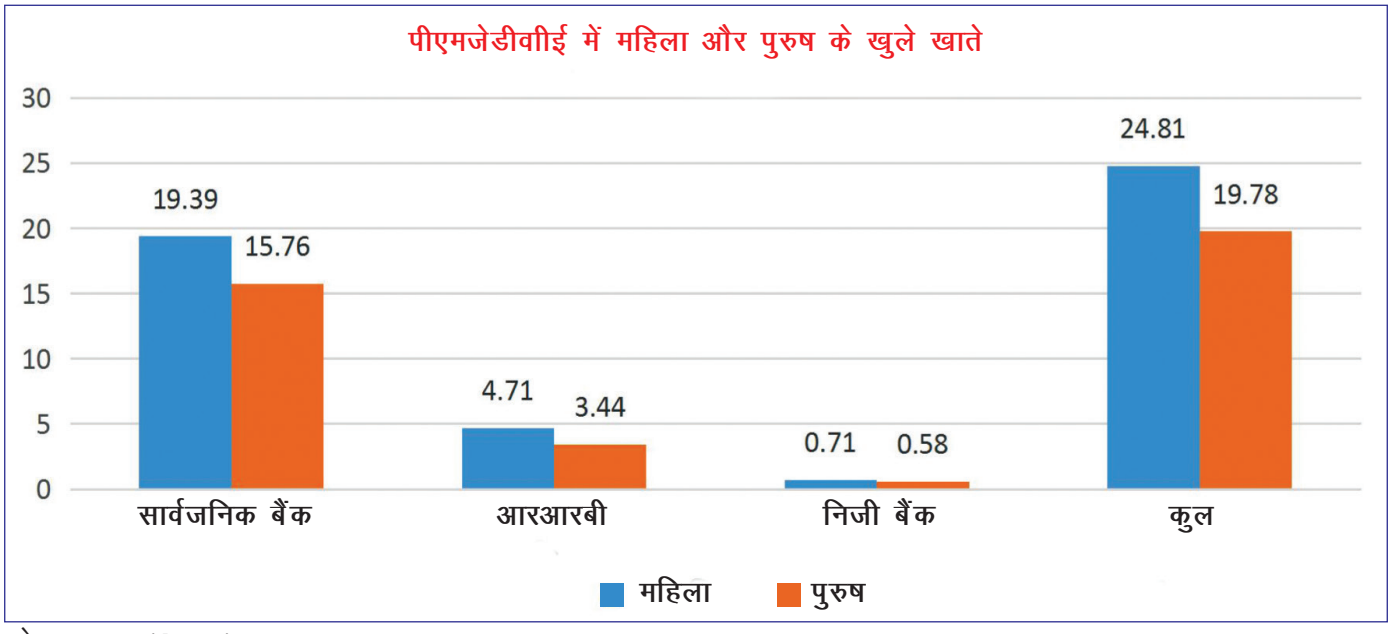

स्रोत: www.pmjdy.gov.in

वित्तीय समावेशन के मार्ग में मौजूद वर्तमान चुनौतियां

देश में वित्तीय समावेशन को मज़बूत करने के लिए विभिन्न हितधारकों द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के बावजूद, वित्तीय सेवाओं के उपयोग में अभी भी कई चुनौतियां मौजूद हैं (चित्र–6) जिन पर आवश्यक समन्वय और प्रभावी निगरानी के माध्यम से नीति निर्माताओं को ध्यान देने की आवश्यकता है।

वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2019–2024

भारत की वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2019–2024 को वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति के तत्वावधान में आरबीआई द्वारा तैयार किया गया है। इसमें भारत में वित्तीय समावेशन की स्थिति और बाधाओं का विश्लेषण, विशिष्ट वित्तीय समावेशन लक्ष्य, लक्ष्यों तक पहुंचने की रणनीति को सम्मिलित किया गया है। इस रणनीति का उद्देश्य औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक एक किफायती तरीके से पहुंच प्रदान करना, वित्तीय समावेशन को व्यापक और गहरा करना तथा वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देना है।

समिति की अनुशंसा

वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य को साकार करने के लिए सभी वित्तीय सेवा आउटलेट्स/टच पॉइंट्स को एक मज़बूत और कुशल डिजिटल नेटवर्क बुनियादी ढांचा प्रदान करना महत्वपूर्ण है। ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं में दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सहकारी बैंकों और अन्य विशिष्ट बैंकों (पेमेंट्स बैंक, लघु वित्त बैंक) के साथ–साथ अन्य गैर–बैंक संस्थाओं जैसे उर्वरक की दुकानों, स्थानीय सरकारी निकायों/पंचायतों के कार्यालय, मेला, प्राइस शॉप, कॉमन सर्विस सेंटर, शैक्षणिक संस्थान आदि में डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे का विस्तार करने की भी सिफारिश की गई है। बीसी नेटवर्क को मज़बूत करने के लिए बैंक पारिश्रमिक और नकद प्रतिधारण सीमा से संबंधित मुद्दों को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं।

चित्र–6 वित्तीय समावेशन के मार्ग में चुनौतियां

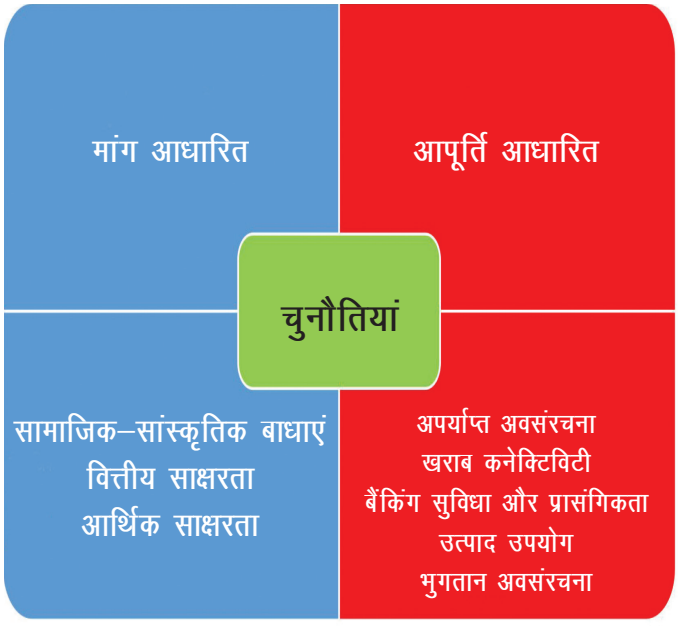

आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर सम्पूर्ण देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव के दौरान वित्तीय समावेशन से संबंधित कई कार्यक्रम प्रमुखता से चलाए जा रहे हैं। वित्तीय समावेशन मेलों तथा "जनता से जुड़ना" जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से बैंकिंग में बढ़ते डिजिटलीकरण को भी प्रदर्शित किया जा रहा है जिसने बैंकिंग को देश के सभी कोनों में त्वरित, आसान, सुविधाजनक और सुलभ बना दिया है। आधार, जन धन और मोबाइल के संगम ने बैंकिंग सुविधा के स्वरूप में एक चमत्कारिक बदलाव लाया है। तकनीक के कुशल प्रयोग, एटीएम की बढ़ती संख्या, और मोबाइल ऐप ने लोगों की बैंकिंग सुविधा तक पहुंच को आसान बनाया है। आज ग्रामीण इलाकों में कुल 12.48 लाख बैंकिंग आउटलेट मौजूद हैं। अब तक 1.10 करोड़ से भी ज्यादा स्वयंसहायता समूहों का बैंकलिंकेज हुआ है, बी सी सखी का एक मजबूत नेटवर्क गांवों में उपलब्ध है। पीएमजन धन योजना ने ऐसे 44.59 करोड़ लोगों को बैंक से जोड़ा जो आज तक इससे वंचित थे। साथ ही, डीबीटी योजना से पैसे को सीधे लाभार्थी के खाते में भेजना संभव हो पाया है।

निष्कर्ष

आज़ादी के 75वें साल में जब देश अमृत महोत्सव मना रहा है तब नए भारत के लिए वित्तीय समावेशन का महत्व और भी बढ़ जाता है। आरबीआई द्वारा तैयार भारत के लिए वित्तीय समावेशन इंडेक्स 2021 में वित्तीय सेवा तक पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता के आधार पर इसे 53.9 मापा गया है। इसमें सुधार हेतु निरंतर प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। इसके लिए वित्तीय साक्षरता, डिजिटल लेन–देन, मांग आधारित बैंकिंग उत्पाद को बढ़ावा देने के साथ–साथ अवसंरचनात्मक कमियों को दूर किए जाने की आवश्यकता है।

(परमेश्वर लाल पोद्दार, नाबार्ड में प्रबंधक और डॉ. आशुतोष कुमार उप–महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई–मेल : poddarparmeshwar@gmail.com

कुरुक्षेत्र का आगामी अंक

अप्रैल 2022

ग्रामीण महिला सशक्तीकरण